



## हमीरपुर पुलिस

### गैंगस्टर एक्ट के तहत 04 अभियुक्तों की ₹3,97,72,174/- की संपत्ति कुर्क, जनपद हमीरपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु तथा अपराधिक कृत्यों से अर्जित चल/अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मु0अ0सं0 322/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण 1. सोनू गुप्ता उर्फ शिवकुमार उर्फ शिवप्रकाश पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू 2. रामप्रकाश उर्फ प्रांशू गुप्ता पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू निवासी गण मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, मूल पता ग्राम गौरीकला थाना जसपुरा जिला बाँदा, 3. उमाकान्त गुप्ता पुत्र रामसजीवन निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, मूल पता ग्राम रैपुरा थाना जसपुरा जिला बाँदा, तथा 4. रिजवान उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 नाजिम खान निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, की गैंग संबंधी गतिविधियों व प्रभारी निरीक्षक थाना कुरारा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्यवाही के क्रम में उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं, उनके परिवारजनों अथवा उनके मित्रगणों के नाम क्रय की गई चल/अचल संपत्तियाँ जैसे मकान, प्लॉट, कृषि भूमि, आरा मशीन व धर्मकांटा, जिनकी कुल अनुमानित कीमत ₹3,97,72,174/- (तीन करोड़ सत्तानबे लाख बहत्तर हजार एक सौ चौहत्तर रुपये) है, को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुर्क किया गया है।

अभियुक्तगण मृतक 1.सोनू गुप्ता उर्फ शिवकुमार उर्फ शिवप्रकाश पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू 2.रामप्रकाश उर्फ प्रांशू गुप्ता पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू निवासी गण मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूल पता ग्राम गौरीकला थाना जसपुरा जिला बाँदा 3.उमाकान्त गुप्ता पुत्र रामसजीवन निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूल पता ग्राम रैपुरा थाना जसपुरा जिला बाँदा व 4. रिजवान उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 नाजिम खान निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, आपराधी किस्म के व्यक्ति है। इनके विरुद्ध थाना सुमेरपुर पर गैंग बनाकर, आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर, विद्युत अधि0, खेसारी अधि0, सम्पत्ति, जान माल की धमकी देने, गाली-गलौज व मारपीट जैसी घटनाओं के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर जीवकोपार्जन हेतु अपराध के अलावा कोई अन्य व्यवसाय/ आय का स्रोत नहीं है।

अभियुक्तगण पूर्व से आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर संपत्ति संबंधी आपराधिक कार्य कर अपराध से अर्जित अवैध धन (चल/अचल) संपत्ति को अपने व अपने परिवारजन/ मित्रगण के नाम विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित करते रहते हैं।

उक्त अभियुक्तों व उनके परिवारजन/मित्रगण के नाम पर क्रय की गई संपत्तियों को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

| क्र.सं. | सम्पत्ति का प्रकार                                                                                                                                                         | अनुमानित कीमत    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01      | 300 वर्ग मीटर, प्लाट सागर रोड़ एन0एच0 34 सुमेरपुर                                                                                                                          | 6691440/- रुपये  |
| 02      | 300 वर्ग मीटर प्लाट धर्म कांटा, मकान                                                                                                                                       | 4157537/- रुपये  |
| 03      | 1511ग, 2150च, रकवा योग 2.092 भूमि का अंश ¼ अनुसार रकवा 0.523 ( तहसील पैलानी जनपद बांदा)                                                                                    | 470700/- रुपये   |
| 04      | मकान कस्बा सुमेरपुर गांटा संख्या 3016/2/1                                                                                                                                  | 2112297          |
| 05      | गांटा संख्या 3016/2/1 (0.162 हे0 या 1620 वर्ग मी0 प्लाट आरा मशीन                                                                                                           | 24300000/- रुपये |
| 06      | 1514क, 1406 व 1407 रकवा 0.348 व 4.702 व 0.121 का 1/5 अंश के अनुसार रकवा 0.696 व 1/5 अंश के अनुसार रकवा 0.9404 व 1/1अंश के अनुसार रकवा 0.121 हे0 ( तहसील पैलानी जनपद बांदा) | 1017900/-रुपये   |
| 07      | गांटा संख्या 1735/1 (1210 वर्ग फीट ) 23 वर्ग मी0                                                                                                                           | 1022300/- रुपये  |

कुल अनुमानित मूल्य: ₹3,97,72,174/- (तीन करोड़ सत्तानवे लाख बहत्तर हजार एक सौ चौहत्तर रुपये)  
अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि

### 1. सोनू गुप्ता उर्फ शिवकुमार उर्फ शिवप्रकाश (मृत)

| क्र.सं. | मु0अ0सं0  | धारा                                           | थाना     |
|---------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| 1       | 1225/07   | 273 भा.दं.सं. व 7/16 PF एक्ट                   | सुमेरपुर |
| 2       | 1289/07   | 273 भा.दं.सं. व 7/16 PF एक्ट                   | सुमेरपुर |
| 3       | 1150/10   | 272/273 भा.दं.सं. व 2/3 खेसारी अधि.            | सुमेरपुर |
| 4       | 664/11    | 110G सीआरपीसी                                  | सुमेरपुर |
| 5       | 362/13    | 135 विद्युत अधिनियम                            | सुमेरपुर |
| 6       | 1299/13   | 2/3 खेसारी अधि.                                | सुमेरपुर |
| 7       | 1063/14   | 304 भा.दं.सं.                                  | सुमेरपुर |
| 8       | 551/15    | 3 यूपी गुण्डा एक्ट                             | सुमेरपुर |
| 9       | 1884/15   | 3/25 आर्म्स एक्ट                               | सुमेरपुर |
| 10      | 128/17    | 147/323/354/452/504/506 भा.दं.सं.              | जसपुरा   |
| 11      | 16/18     | 67C आई.टी. एक्ट                                | जसपुरा   |
| 12      | 74/18     | 376D/506 भा.दं.सं.                             | जसपुरा   |
| 13      | 284/20    | 323/504/506 भा.दं.सं. व SC/ST एक्ट             | सुमेरपुर |
| 14      | 67/22     | 323/504/506 भा.दं.सं. व SC/ST एक्ट             | जसपुरा   |
| 15      | NCR 49/18 | 323/504/506 भा.दं.सं.                          | जसपुरा   |
| 16      | NCR 69/18 | 323/504/506 भा.दं.सं.                          | जसपुरा   |
| 17      | 402/22    | 406/420/120B/467/468/471 भा.दं.सं. व 3/7 आव.व. | सुमेरपुर |
| 18      | 473/23    | 3(1) गैंगस्टर एक्ट                             | हमीरपुर  |

### 2. रामप्रकाश उर्फ प्रांशू गुप्ता

| क्र.सं. | मु0अ0सं0 | धारा                                           | थाना     |
|---------|----------|------------------------------------------------|----------|
| 1       | 402/22   | 406/420/120B/467/468/471 भा.दं.सं. व 3/7 आव.व. | सुमेरपुर |
| 2       | 473/23   | 3(1) गैंगस्टर एक्ट                             | सुमेरपुर |

### 3. उमाकान्त गुप्ता

| क्र.सं. | मु0अ0सं0 | धारा                                           | थाना     |
|---------|----------|------------------------------------------------|----------|
| 1       | 284/20   | 323/504/506 भा.दं.सं. व SC/ST एक्ट             | सुमेरपुर |
| 2       | 402/22   | 406/420/120B/467/468/471 भा.दं.सं. व 3/7 आव.व. | सुमेरपुर |
| 3       | 473/23   | 3(1) गैंगस्टर एक्ट                             | सुमेरपुर |

### 4. रिजवान उर्फ गुड्डू

| क्र.सं. | मु0अ0सं0 | धारा                                                          | थाना     |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | 402/2022 | 406/420/120बी0/ 467/468/471 भा.दं.सं. व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 | सुमेरपुर |